रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102026-277029
SG-DL-E-10102026-277029

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]	दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 236
No. 293]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948	[N. C. T. D. No. 236

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग
(गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय)
अधिसूचना

दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

फा. सं. 1/633/डीजीई/2026/3491.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 3 मई, 1973 अधिसूचना सं.एसओ.सं० यू-11030/1/73(i)-यूटीएल तथा दिनांक 3 मई, 1973 एसओ.सं. यू-11030/1/73(ii)-यूटीएल के साथ पठित दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82) की धारा 39 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियमावली, 1974 (तत्पश्चात "मूल नियम" के रूप में संदर्भित) में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1.**संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-** (1) इन नियमों को "दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (सदस्यों का सहयोजन) (संशोधन) नियमावली, 2026" कहा जाएगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2.**नियम 3 का संशोधन**-मूल नियमों के नियम 3 के, उप-नियम(1) के खंड (i) में "चार अकाल तख्त साहिब" शब्दों के स्थान पर "पांच अकाल तख्त साहिब" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

3. **नियम 5 का संशोधन**- मूल नियमों में-

(1) नियम 5 के, उप-नियम(1) के खंड (i) में "चार अकाल तख्त साहिब" शब्दों के स्थान पर "पांच अकाल तख्त साहिब" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) उप-नियम(2) में, "चार अकाल तख्त साहिब" शब्दों के स्थान पर "पांच अकाल तख्त साहिब" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर

पांडुरंग के. पोल, सचिव

REVENUE DEPARTMENT
(Directorate of Gurdwara Elections)
NOTIFICATION

Delhi, the 30th September, 2026

F. No. 1/633/DGE/2026/3491.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs, Notification S.O.No.U-11030/1/73 (i)-UTL dated 3rd May, 1973 and S.O. No. U-11030/1/73 (ii)- UTL dated 3rd May, 1973, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-Option of Members) Rules, 1974, (hereinafter referred to as principal rules) namely:-

1. **Short title and commencement-** (1): These rules may be called the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-Option of Members) (Amendment) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 3-** In the principal rules, in rule 3, in sub-rule 1 in clause (i) for the words “four Akal Takhat Sahib" the words “five Akal Takhat Sahib" shall be substituted.

3. **Amendment of rule 5-** In the principal rules,

   (1) In rule 5, in sub-rule (1), in clause (i), for the words “four Akal Takhat Sahib" the words “five Akal Takhat Sahib" shall be substituted.

   (2) In sub-rule (2), for the words “four Akal Takhat Sahib" the words “five Akal Takhat Sahib" shall be substituted.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE
LT. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,

PANDURANG K. POLE, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.10.10 12:23:10 +05'30'